वित्तीय स्वीकृति

संख्य -48/1291/52-3-14-1(140)/07 टी0सी0

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -3, □□□□: दिनांक 1 सितम्बर, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2013-14 में अल्पसंख्यक समुदाय के दशमो कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शुल्कप्रतिपूर्ति वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (□□□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र □0-5/10/ 2013-□□□(□□□□□) दिनांक 28.2.2014 के अनुक्रम में तथा वित्त (□□-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-□□-1-2457/□□-2014-231/2014, दिनांक 22.7.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्त - 2(13) □ 2(15) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्यय में अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं अध्ययनरत छा /छात्राओं को केन्द्रपुरोनिधानित पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु आयोजन त पक्ष में प्राविधान

http://shasnadesh.up.nic.in

धनराशि रू0 01,73,52,67,000/- (रू0 एक अरब तिहत्तर करोड़ बावन लाख सठसठ हजार म) के सापेक्ष 0 07,14,40,174/- (रू0 □□ करोड़ चैदह लाख चालिस हजार एक सौ चैहत्तर म) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध भारत सरकार तथा शासन द्वारा निर्गत शासनादेश/दिशा निर्देशों के अनुपालन में किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में जहा आवश्यक ह, व्यय होने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा एवं भारत सरकार द्वारा दी गयी व्यवस्थानुसार आ -□□□ वितरित की जाये□□

(4) जिन शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध छात्रवृत्ति के अनियमितताओं की शिकायत हो, उनमें छात्रवृत्ति की अनियमितताओं की प्रबल सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये उन शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छा /छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है, तो इसके लिए सम्बंधित अधिकारी पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें।

(5) छात्रवृत्ति वितरण में शासनादेश सं -□□0□□0-74/52-1-14 दिनांक 21-02-2014 □□ □□□□□□ □0-□□0□□0-85/52-1-14

दिनांक 25-02-2014 का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किय
□□□□□

(6) उक्त धनराशि से गत शैक्षणिक सत्र 2013-14 के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का ही भुगतान किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल समर्पित किया जायेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□ व्ययक के अनुदान संख्या -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-□□□□□ जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-□□□□□□-80-सामान्य-800-अन्य व्यय -01-केन्द्रीय आयोजनाओं/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए दशमोत्तर (पोस्ट मेट्रिक) छात्रवृत्ति(100 प्रतिशत केन्द्र0)-21-छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन के नामें डाला जायेगा।

3- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/□□-2014- 231/2014, दिनांक 22.7.2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या-1291(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (□□ एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□, □□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी,

http://shasanadesh.up.nic.in

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण ा वं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा सं,

(vkj0 ,u0 f}onh)

□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in